## अनुदान संख्या 46 – भारी उद्योग विभाग
## GRANT No. 46 – DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत - Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 927,85,00 | | | |
| | | | 1113,57,00 | 1050,93,01 | -62,63,99 |
| पूरक | Supplementary | 185,72,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 61,96,20 |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 67,42,00 | | | |
| | | | 177,49,00 | 127,04,99 | -50,44,01 |
| पूरक | Supplementary | 110,07,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 19,00 |

### *टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹6263.99 लाख) जुलाई, 2021, दिसंबर 2021 तथा मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹18572.00 लाख के पूरक अनुदान का 34 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

### *Notes and comments*

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹6263.99 lakhs) constituted 34 percent of the supplementary grant of ₹18572.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत - Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451" Secretariat - Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 4109.00 | | | |
| | | | 3218.30 | 3202.83 | -15.47 |
| पु. | R. | -890.70 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग | Major Head "2852" Industries | | | | |
| मू. | O. | 88676.00 | | | |
| पू. | S. | 18572.00 | 101942.50 | 101890.18 | -52.32 |
| पु. | R. | -5305.50 | | | |

(I) ₹400.00 लाख का पूरक प्रावधान मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य" – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास'' – के अंतर्गत एक मामले में – कोविड–19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of ₹400.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2852" - "General – Assistance to Public Sector and other Undertakings – Development of Automobile Industry" – due to non-receipt of proposals from implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

(II) मुख्य शीर्ष "3451'' – "सचिवालय – भारी उद्योग विभाग'' के अंतर्गत – ₹906.17 लाख की बचत (₹4109.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा कोविड–19 महामारी के कारण यात्रा खर्चों, अन्य प्रशासनिक खर्चों, विज्ञापन तथा प्रचार, लघु कार्यों और व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Heavy Industry" - saving of ₹906.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4109.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, requirement of less funds towards travel expenses, other administrative expenses, advertisement and publicity, minor works and professional services owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य – अन्य व्यय – पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास'' के अंतर्गत – ₹6910.80 लाख की बचत (₹11309.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2852" - "General - Other Expenditure - Development of Capital Goods Sector"- saving of ₹6910.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11309.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1956.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य – अन्य व्यय – ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास" के अंतर्गत ₹18571.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1954.98 लाख था।

2. The above savings were partly (₹1956.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹18571.00 lakhs under Major Head "2852" - "General - Other Expenditure - Development of Automobile Industry". Actual excess, however, was ₹1954.98 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹5044.01 लाख) जुलाई, 2021 तथा दिसंबर, 2021 में प्राप्त किए गए ₹11007.00 लाख के पूरक अनुदान का 46 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹5044.01 lakhs) constituted 46 percent of the supplementary grant of ₹11007.00 lakhs obtained in July, 2021 and December, 2021 and 28 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major head:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| मुख्य शीर्ष "6858'' इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए कर्ज | Major Head "6858" Loans for Engineering Industries | | | | |
| मू. | O. | 6730.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 6723.00 | 1700.00 | -5023.00 |
| पु. | R. | -8.00 | | | |

(I) ₹6740.00 लाख का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹6722.00 लाख अकेले – "अन्य इंजीनियरिंग उद्योग – अन्य ऋण – राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्टिंग और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजनाएं'' के अंतर्गत – इस स्कीम का विस्तार न किए जाने का निर्णय लिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹6740.00 lakhs remained wholly unutilized under nineteen heads; of these ₹6722.00 lakhs alone accounted for under "Other Engineering Industries – Other Loans - Loans to National Automotive Testing and R&D Infrastructure Projects" - due to decision taken for non-extension of the scheme.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1700.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि "अन्य इंजिनियरिंग उद्योग – अन्य ऋण – ऑटोमोबाईल्स तथा सम्बद्ध उद्योग के लिए विकास परिषद" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1699.00 लाख था।

4. The above savings were partly (₹1700.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under "Other Engineering Industries – Other Loans –Development Council for Automobiles and Allied Industries". Actual excess, however, was ₹1699.00 lakhs.